–: अधिसूचना :–

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 2463–2593/भ0नि0बो0–11, दिनांक 13.05.2011 के माध्यम से **मेधावी छात्र पुरस्कार योजना** अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या–1527/छत्तीस–2–12–251(एस0एम0)/95टी0सी0–111, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के अन्तर्गत निम्न संशोधन किये गये हैं:–

1. योजना के प्रस्तर–4, हितलाभ की सारणी में कक्षा– 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एवं आगे की कक्षा का हितलाभ संलग्न सारणी के अनुसार किया जायेगा।
2. योजना के प्रस्तर–6(4), आवेदन की प्रक्रिया में सामान्यतः मेधावी छात्र/ छात्राओं से उपरोक्त संलग्नकों सहित प्रार्थना–पत्र 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किये जायेंगे।
3. योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होंगे।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
सचिव, बोर्ड।